

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर-कैम्प टॉक
(निर्णय बर्डजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :-03/2015/टॉक (2015/00065)

1. रामधन पुत्र रुघनाथ, जाति ब्राहमण, निवासी किरावल, तहसील मालपुरा, जिला टॉक ।

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार, मालपुरा, जिला टॉक ।

रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध विरुद्ध तहसीलदार, मालपुरा नामांतरण संख्या 1121 दिनांक 30.4.2004.

उपस्थित:-

1. श्री जे0के0जैन, वकील अपीलांट ।

निर्णय

दिनांक :- 08.02.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, मालपुरा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा संस्थित नामांतरण संख्या 1121 निर्णय दिनांक 30.4.2004 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

- 1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम किरावल, तहसील मालपुरा में अपीलांट को दिनांक 18.10.1977 को खसरा नंबर 606/5 में रकबा 3 बिस्वा भूमि बाड़ा (कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन की गई थी जिसको तहसीलदार, मालपुरा ने अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1121 दिनांक 30.4.2004 के द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट अनुपस्थित । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx
- 3- अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम किरावल, तहसील मालपुरा के खसरा नंबर 606/5 में रकबा 3 बिस्वा भूमि का बाड़ा (कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन दिनांक 18.10.1977 को अपीलांट को किया गया था तथा उक्त आवंटन की पालना में अपीलांट को राजस्व रिकार्ड में

गैर खातेदार दर्ज किया गया था । तहसीलदार, मालपुरा ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करते हुए दिनांक 12.2.2004 को आदेश क्रमांक भू-अभिलेख/2004/847 को आधार बनाकर पटवारी हल्का किरावल को सूची भेज कर अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन व गैर खातेदारी को राजस्व रिकार्ड से हटाने का नामांतकरण भरने का आदेश दे दिया जो प्रथमदृष्टया ही गैर कानूनी है क्योंकि तहसीलदार को उक्त बाड़े के आवंटन आदेश एवं गैर खातेदारी के अंकन को हटाने का अधिकार नहीं था । आवंटन आदेश दिनांक 18.10.1977 को कभी भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है । अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये बिना तहसीलदार को नामांतकरण आदेश के माध्यम से आवंटन को निरस्त करने का विधिक अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित करने व नामांतकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया है एवं किसी प्रकार की साक्ष्य व जवाब पेश करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार ने नामांतकरण आदेश में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि गैर मु0 बाड़ा अपीलांट की गैर खातेदारी में वर्षों से दर्ज चली आ रहा है उसको राजस्व रिकार्ड से हटाने का आधार क्या है तथा किस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया है । अपीलांट के पक्ष में हुआ आवंटन किसी भी नियमों के विपरीत नहीं है परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार, मालपुरा ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नामांतकरण के माध्यम से अपीलांट का आवंटन आदेश निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार, मालपुरा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 1121 दिनांक 30.4.2004 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में गैर खातेदारी के अंकन को यथावत् रखा जावे ।

xx

- 4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति है जिसे पूर्व में नामांतकरण की जानकारी नहीं थी क्योंकि तथाकथित नामांतकरण अपीलांट को बिना सुने स्वीकार किया गया है । नामांतकरण की सर्वप्रथम जानकारी रेस्प0 द्वारा बाड़े से बदेखल करने की धमकी दिये जाने पर हुई जिस पर अपीलांट ने अपीलाधीन नामांतकरण की प्रति एवं कानूनी सलाह प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । xx
- 5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों, अधि0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे

उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं। मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलान्त को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

- 6- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली एवं अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 606/5 रकबा 3 गै0मु0बाड़ा बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अपीलान्त रामधन पुत्र रूघनाथ के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है। अपीलान्त ने उक्त बाड़े का आवंटन 18.10.1977 को होने का कथन किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है तहसीलदार, मालपुरा ने आदेश क्रमांक 847 दिनांक 12.2.2004 को पारित किये हैं जिसमें यह अंकित किया है कि “ सूची में अंकित बाडियात के गैर खातेदार का नाम 30 बलित्व की हैसियत से जारी किया गया था जिसका रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है, जो नहीं करना था। अतः सूची में अंकित बाडियात गैर खातेदारान का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का नामांतकरण भरा जावे।” तहसीलदार, मालपुरा के उक्त आदेश की पालना में नामांतकरण संख्या 1121 दिनांक 30.4.2004 स्वीकृत किया गया है जबकि अपीलान्त ने नामांतकरण संख्या 1121 दिनांक 30.4.2004 के विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की है। अपीलान्त तहसीलदार, मालपुरा के आदेश क्रमांक 847 दिनांक 12.2.2004 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये बिना नामांतकरण संख्या 1121 दिनांक 30.4.2004 के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्त अपास्त योग्य तथा नामांतकरण संख्या 1121 दिनांक 30.4.2004 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

- 7- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 03/2015 (2015/00065) बउनवानी रामधन बनाम तहसीलदार, मालपुरा को अपास्त किया जाता है तथा नामांतकरण संख्या 1121 दिनांक 30.4.2004 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

- 8- आदेश आज दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

